**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा उत्पादन विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 842**

**28 जुलाई, 2015 को उत्तर के लिए**

**रक्षा उपस्करों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता**

**842. श्री भूपिंदर सिंह :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ‘मेक इन इंडिया’ नीति के अन्तर्गत कब तक शस्त्रों और गोला बारूद सहित रक्षा सामाग्री की प्रापण में दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

 **उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ( राव इन्द्रजीत सिंह)**

 एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**रक्षा उपस्करों के उत्पादन में आत्मनिर्भता के बारे में राज्य सभा में 28 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 842 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

 वर्ष 2011 में प्रख्यापित रक्षा उत्पादन नीति का उद्देश्य यथासंभव कम समय-सीमा में रक्षा के लिए आवश्यक उपस्करों, आयुध प्रणालियों, प्लेटफार्मों के अभिकल्पन, विकास और उत्पादन में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना; ऐसी स्थितियों का सृजन करना जिससे इस प्रयास में निजी उद्योग को सक्रिय रूप से भाग लेने में सहायता मिले; स्वदेशीकरण में एसएमई के सामर्थ्य को बढ़ाना और देश के रक्षा अनुसंधान और विकास के आधार को व्यापक बनाना है ।

 इस नीति के अनुसरण में, सरकार ने रक्षा उत्पादन और अधिप्राप्ति में घरेलू रक्षा उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नीति और औद्योगिक लाईसेंसिंग नीति का उदारीकरण, निर्यात विनियमों का सरलीकरण, निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क के संबंध में सदृशीकरण का सृजन, अधिप्राप्ति प्रक्रिया में ‘खरीदो (वैश्विक)’ प्रवर्ग पर ‘खरीदो (भारतीय)’, ‘खरीदो और बनाओ (भारतीय)’ और ‘बनाओ’ प्रवर्गों को तरजीह देना जैसी कई पहलें की हैं जिससे अधिक-से-अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके ।